229.2
द्विवे।ह

॥ श्रीः ॥

अशौचनिर्णयत्रिंशच्छ्लोकी ॥

भाष्यसहिता

काशीस्थ राजकीयप्रधानपाठालयाध्यापकेन

श्रीद्विवेदहरिनाथमनीषिणा

रसिकजनमनस्तोषायसंस्कृता

साचमिताक्षरा निर्णयसिन्ध्वादि निबन्धसाहा

य्येन धीमतां मनोविनोदाय

श्रीद्विवेदरामनाथशर्मणा ॥

मध्यदेशप्रचलितभाषायामनूद्य, स्फुटित्यवबोधाय

मूलवाक्यानि विभज्य, संशोध्य,

बहुजनोपकाराय

229.2
द्विवे। ह

सिद्धिविनायक यन्त्रालये मुद्रयित्वा

प्रकाशिता

सम्वत् १९७१ का० शु० १५

॥ शुभमस्तु ॥

बिना इजाजत किसीको छापनेका अधिकार नहीं है।

[प्रति १०००] [मूल्य ।=)

उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी, लखनऊ

पुस्तकालय

परिग्रहण क्रमाङ्क 3896

वर्गाङ्क 221.2

पुस्तकाङ्क द्विवे/ह

२२६.२
हिन्दू

उत्तर प्रदेश संस्कृत अ ...मी
पुस्तकालय
ग्रन्थ सं० सं० ३५१.१६
संस्कृत भवनम् लखनऊ

भूमिका ।

इसी छोटी जनन आ

शिवदेव्यास्तपोमूर्त्तेर्मातुः पादाब्ज जन्मनः ॥
पितुः श्रीविश्वनाथस्य कर्णाल्लेह्यादरान् मुहुः ॥

इस संसार में कोई गृहस्थ का घर ऐसा नही है कि जिस में जनम मरण न होवे, और जनम मरण पड़ने पर हिन्दूमात्र में कुछ न कुछ अशौच आदि मानतेहीहैं तो जो लोग संस्कृत के धर्मशास्त्र को नही जानते वे किसी पण्डित से पूछते हैं और पण्डितलोग भी अनेक ग्रन्थों के देखने से व्यामोह को कहीं कहीं प्राप्त हो जाते हैं वा जल्दी मे उलटा सूधा बताय देते हैं क्योंकि अशौच का विषय अनेक ग्रन्थों मे है और लंबा चौड़ा भी है तो सब ग्रन्थोंका सिद्धान्त थोड़े में बुद्धिमान पण्डित लोग समझ लेवें इसलिये यह कुल तीस श्लोक का ग्रन्थ बना है। और यह ग्रन्थ प्रमाणिक भी इतना है कि निर्णयसिन्धुकार आदि बड़े २ ग्रन्थकार लोग अपनी बात को प्रमाणिक करने के वास्ते इसे लिखते हैं। लोग कहते हैं कि यह ग्रन्थ किसी बड़े ऋषि का बनाया है कोई कहते हैं कि भट्टोजी दीक्षित (जिनने की व्याकरण मे सिद्धान्त कौमुदी आदि को बना के अद्भुत यश पाया) उनका बनाया है, जो हो मैं इस विषय मे इतनाही समझताहूँ कि अशौच के विषय मे जैसा यह बना है यदि ऐसे ही ग्रन्थ दाय वा आचार वा तिथिनिर्णय आदि मे भी बने होते तो काहे को किसी को परिश्रम वा संशय होता, अवश्य वह पुरुष महर्षि से भी बढ़ के विद्वान् था कि जिसने इसको बनाया, क्योंकि इतने थोड़े अक्षरों मे और ऐसे सुन्दर छन्द मे बड़े भारी विषय का साफ साफ निर्णय कर दिखाना यह काम सब का नही है, क्योंकि जिस बात के समझनेवाले भी कम हैं तो

बनाना तो बड़ाही कठिन है, जो कुछ हो मेरेसमझ मे य ह
ग्रन्थ बहुत उत्तम बना है । तो इसका आनन्द पण्डित लोग
लो लूटतेही हैं पर जिन लोगों ने संस्कृत विद्या मे कम परि
श्रम किया है वेभी इस आनन्द को अनुभव करें इसलिये मै
उसका भाषा करके आशय अपने बुद्धि माफिक प्रकाशकरता
हूं । यद्यपि मुझको भाषा का भी ठीक ठीक ज्ञान नहीं है
तो जरूर इस ग्रन्थमें भाषा बहुत जगह अण्ड बण्ड लिखीहो
गई होगी तो भी बुद्धि मान लोग उसका आशय निकालही
लेवेंगे और मेरे ऊपरकृपा करि उसे शुद्धता पूर्वक बांचेंगे तो
मेरी मेहनत वृथा न होगी ।

सूचीपत्र।

विषय	पृ०	पं०
छ मास के भीतर गर्भ गिरे तो माता को अशौच	१	१
इसी मे सपिण्डों को अशौच	१	७
पांचवें वा छटवें मास में सपिण्डों को	१	१२
छ मास के बाद गर्भ गिरे तो	२	१
सब जाति में कौन कौन अशौच समान हैं	२	५
जननाशौच के भीतर मरे वा मराही पैदा हो तो	२	२१
नाल काटने के पहिले मरे तो	२	१८
इसी में माता को	२	२३
नामकरण के भीतर मरे तो	३	८
छ मास के भीतर मरे तो	३	१२
इसी मे दाह न हुआ हो तो	३	१६
तीन बरस के भीतर मरे तो	३	२०
इसी मे मुण्डन हुआ हो तो	४	२
तीन वर्ष के बाद मरे तो	४	६
उपनयन वा विवाह के बाद मरे तो	४	१०
छोटे बालक के मरने मे पिता आदि को	४	१३
छोट अशौच बीत जाने पर सुन पड़े तो	४	२५
पिता आदि का मतान्तर से	५	३

इसी में मतान्तर	५	६
छोटी लड़की मरे तो	५	१७
जनन और मरण का पूरा अशौच	६	८
आचारभेद से अशौचभेद	६	२२
वानप्रस्थ, व सन्यासी, व हिजड़ा का अशौच	७	२
स्त्री, व गौ, व ब्राह्मण के लिये मरे तो	७	५
लड़ाई मे मरे तो	७	८
बीता अशौच तीन मास के भीतर सुन पड़े तो	७	११
छ मास के भीतर सुन पड़े तो	८	२
नव मास के भीतर सुन पड़े तो	८	५
बाद सुन पड़े तो	८	८
देशान्तर मे सुन पड़े तो	९	१
माता पिता का सुन पड़े तो	९	३
सौतेरी माता का सुन पड़े तो	९	९
बीता अशौच चारो वर्णों को समान है	९	१२
व्याहीस्त्रीबापकेघरमेमरे या प्रसूत होतो पिताआदिको	९	१९
पिता आदि का लड़की को अशौच	१०	५
नाना, नाती आदिका अशौच	१०	१०
सात पुस्त के बाद के गोतियों का अशौच	१०	१८
नानी, मामी आदिका अशौच	११	४
राजा आदि का अशौच	१२	१
मामा आदिका अशौच	१२	४
दूर के सम्बन्धियों का अशौच	१२	१६
छोटा अशौच सब वर्णों को समान है	१२	२१
अशौच के भीतर अशौच आय पड़े तो	१३	४
पिता आदि के अशौच मे विशेष	१४	९
अशौच के दिनों के भीतर अशौच सुन पड़े तो	१४	२१
अशौच के दिनों की गिनती	१५	४
अशौचान्तमे क्याकरनेसे देवकार्यादिका अधिकारी	१५	१०
सूतिका को कब अधिकार होता है	१६	१
मुर्दा उठाने का अशौच	१६	८
अनाथ मे विशेष	१७	५
ब्रह्मचारी को विशेष	१७	१०
मुर्दे के साथ जाने का अशौच	१८	२

ब्रह्मचारी दाहआदि करे या नहीं	१८	१६
दाहादि करने का अशौच	१९	१
पुत्तलाविधान आदि का अशौच	२०	२
अशौची का अन्न खाय तो	२०	१७
अशौची के साथ रोवै तो	२१	३
जननाशौच मे स्पर्शाऽस्पर्श	२१	१३
मरणाशौच मे स्पर्शास्पर्श	२१	१९
अशौच मे भी कर्मविशेषाधिकार	२३	९
संन्यासी आदि को अशौच नही	२३	१७
राजा आदि को अशौच नहीं	२३	२१
पतित आदिका अशौच नहीं	२६	१
अशौची की तरकारी आदि लेने में दोष नहीं	२६	२१
बजार की चीज में दोष नही	२७	६
किस अग्नि से किस का दाह करना	२७	१०
दाहादि में निषिद्ध अग्न्यादि	२७	२४
दाहादि की विधि	२८	९
दाहादि के अधिकारी	२८	२०
जो क्रिया प्रारम्भ करे सो कब तक करे	३२	९
छोटे लड़के का खननादि	३३	९
खनन की विधि	३३	२५
मुर्दा उठाने की बिधि	३४	६
साथ जाने की विधि	३४	१७
तिलाञ्जलि किस्को देना आवश्यक है	३४	२४
ब्रह्मचारी आदि को विशेष	३५	१३
तिलोदक किस्को न देना	३६	२
दाह के बाद क्या करना	३६	१
अशौचियों का बर्त्ताव	३७	२१
पिण्डदान की विधि	३८	१५
अस्थिसंचय का काल	३९	११
पहिले व दशवें दिन की बिधि	४०	१
क्षौर का विचार	४०	१६
ग्रन्थकर्त्ता की बिनती व मांगलिक कार्य	४१	२३
टीकाकार की बिनती	४२	९

इस सूचीपत्र में लाघवके लिये स्थूल स्थूल विषयमात्र दिखलाया है, अब इसमें सूक्ष्म विषय बुद्धिमान लोग स्वयं बिचार के खोज लेवें।

श्रीगणेशाय नमः ।

अशौचनिर्णय त्रिंशत्श्लोकी ।

षण्मासाभ्यन्तरेषु स्वपुरुषनिहिते गर्भमात्रे विनिष्टे माता तन्माससङ्ख्यासमदिनमशुचिः ॥

जिस स्त्री का गर्भस्राव छ महीने के भीतर हो उस स्त्री की शुद्धि मासकी सङ्ख्या के बराबर दिनोंसे होती है (अर्थात् पहिले मास में गर्भ पड़ जाने से १दिन दूसरेमें पड़ने से २दिन तीसरे में तीन दिन) इस रीति से अशौच माता को लगता है (१) ॥

स्नानशुद्धाः सपिण्डाः ॥

सपिण्ड (अर्थात् उस स्त्री के देवर जेठ ससुर भतीजा वगैरः सात पुस्त तक गोतिया लोगों) की तो केवल स्नान करने से शुद्धि होती है [२] अर्थात् जब तक वे स्नान न करें तब तक उन लोगों को अशौच रहता है) ॥

अन्त्ये मासद्वये तु त्रिदिनमशुचयः ॥

पांचवें या छठवे महीने में यदि गर्भ पात हो तो सपिण्ड (अर्थात् उस स्त्री के ससुर वगैरः) को तीन दिन का अशौच लगता है ॥

टि० [१] यहां पर मरीचिऋषि के मत से ब्राह्मणी स्त्री को पहिले और दूसरे मास मे भी गर्भपड़ने से तीनदिन अशौच लगता है इस बातको न भूलना चाहिये ॥

टि० [२] पर यह अशौच चारमहीने के भीतर व्याहता पुरुष का गर्भ यदि किसी स्त्री का गिरे तो उसके सपिण्डों को समझना चाहिये ॥

अतः परं सूतिवत् स्यात् ॥

बाद छ महीने के यदि गर्भ गिरे तो सब को (अर्थात् जिस स्त्री का गर्भ गिरे उसको और उसके सपिण्डों को) पूरा जननाशौच लगता है [१] ॥

चातुर्वर्ण्यस्य तुल्यं भवति वयसियत् प्रोच्यतेऽशौच मात्रम् ॥ १ ॥

पीछे जो अशौच कहे हैं वे चारो वर्ण (अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र) इन सब को बराबर हैं और भी उमिर के भेद से जो भिन्न २ अशौच किसी ग्रन्थ में कहे हों वे भी चारो वर्णों में न्यूनाधिक नहीं हैं किन्तु बराबरही हैं ॥ १ ॥

जन्माशौचान्तराले यदि शिशुनशनं नालवृद्ध्यूर्द्ध्वकाले निष्प्राणो निष्पतेद्वा जननजनितमाशौचमस्त्येव कृत्स्नम्

जीवता लड़का वा लड़की पैदा होके और जिस जातिका जितने दिन तक जननाशौच कहेंगें उन दिनों के भीतर ही (अर्थात् जननाशौच के बिना बीते) मर जाय, या पेटहीसे मरा पैदा हो तो जननाशौचही से वह मरणाशौच भी गतार्थ हो जाता है ॥

प्राङ् नालच्छेदनाच्चेन्निधनमुपगतस्तत्र्यहेणैव शुद्धिः सर्वेषाम् ॥

यदि लड़का पैदा होके नाल काटने के पहिलेही मर जाय तो सब सपिण्डो को तीनही दिन का अशौच लगता है (अर्थात् जननाशौच भी संपूर्ण नहीं लगता) ॥

सूतिकायास्त्विह च सकलकम् ॥

टि० [१] पूरा जनना शौच किस जाति का कितना होता है सो इसी ग्रन्थ मे पाचवें श्लोक मे कहेंगे ॥

इसी अवस्थामे (अर्थात् नाल काटने के पहिले मरने में) सूतिका (अर्थात् जिस् स्त्री को प्रसव हुआहै) उस्को पूरा जननाशौच लगता है ।

प्रेतशुद्धिस्तु सद्यः ॥ २ ॥

इस द्वितीय श्लोक मे जो जो अवसर दिखाये हैं उन सब मे मरण का अशौच तुरत (अर्थात् जब तक स्नान न करे तब तक) रहता है ॥ २ ॥

स्नानं प्राङ् नामतः ॥

जननाशौच बीत जाने पर नामकरण जब तक नहीं हुआ है उस अन्तर मे यदि मरे तो सबका (अर्थात् माता पिता भाई आदिसपिण्डमात्रका) मरणाशौच स्नानमात्र से निवृत्त होताहै॥

अर्वाग्दशनजननतोऽहः परेतेऽग्निदग्धे ॥

नामकरण के बाद छमहीने के भीतर का लड़का यदिमरे और उस्का दाहकियाजावे तो सपिण्डोंको एक दिनका अशौच लगता है ॥

अदग्धे त्वत्रापि सद्यः, ॥

यदि दाह न करे तो छ महीने तक के लड़के का भी सद्यः शौच (अर्थात् जब तक स्नान न करे तब तक का अशौच) सपिण्डों को लगता है [१] ॥

तदुपरि दिनमाद्यदन्तश्चौलशून्ये ॥

छ महीने के बाद दाह करे या न करे पर जबतक तीसरा वर्ष पूरा न हुआ हो और मुण्डन न हुआ हो ऐसे लड़के के मर

टि० [१] तीन वर्ष के भीतर नामकरण के बाद दाह करे या न करे यह दोनो पक्ष मनुस्मृति में लिखा है ॥

ने से सपिण्डों को एकएक दिन का अशौच लगता है [२]॥

सञ्चौले तु त्रिरात्रम् ॥

तीन वर्ष के भीतर छ महीने से ज्यादा उमर के लड़के का मरण यदि मुण्डन के बाद हो तो सपिण्डों को तीन दिन का अशौच लगता है ॥

त्रिदिनमितरथाऽप्यव्रतात् ॥

तीन वर्ष के ऊपर चाहे मुण्डन हुआ हो वा न हुआ हो जब तक यज्ञोपवीत न हुआ हो तब तक यदि मरे तो सपिण्डों को तीन दिन का अशौच लगता है ॥

जात्यशौचम्,

बाद यज्ञोपवीत होने के यदि मृत्यु हो तो जिस जाति में जितना अशौच कहैंगे उतना पूरा सपिण्डों को लगता है ॥

मातापित्रोस्तु पुत्रे त्रिदिनमदशने ॥

माता पिता को तो नामकरण के बाद छ महीने के भीतर का भी लड़का मरे तो तीन दिन अशौच लगता है। और छ महीने के बाद भी दाह हुआ हो या न हो मुण्डन हुआ हो या न हो माता पिता को यज्ञोपवीत जब तक न हो तब तक लड़केका तीन दिन का अशौच लगता है, इसी प्रकार छ महीने के बाद लड़की मरे तो भी माता पिता को तीन दिन का अशौच लगता है ॥

सन्निधौ नष्टचेष्टे ॥ ३ ॥

पूर्णाशौच को छोड़के बाकी जितने छोटेछोटे (अर्थात् एक दिन तीन दिन के) अशौच हैं वे यदि अशौच का जितना

टि० [२] मुण्डन पहिले या तीसरे वर्ष में करना यह मनुस्मृति में लिखा है ॥

समय है उसके भीतर सुन पड़ें तो माने जाते हे और यदि अशौच के समय के बीत जाने पर सुन पड़े तो नहीं माने जाते ३

ऊनद्वयब्दे त्वसंज्ञे जनिकरजननीसोदराणांदशाहम् ॥

पैदा होने के बाद लड़का यदि दो बरस के भीतर मरे तो माता पिता को दस दिन, और नामकरण के बाद दो बरसके भीतर मरे तो सहोदरभाई को भी दस दिन का अशौच लगता है यह पैङ्गय ऋषि का मत है परन्तु आजकल इस मत का प्रचार नहीं है ॥

यद्वाऽस्पृश्यत्वमेवाधिकमिह विषये सूतकं तुत्रिरात्रम् ॥

दो बरस के भीतर का यदि लड़का मरे तो और सपिण्डों के अशौच से माता पिता के अशौच में इतना विशेष है कि माता पिता को और लोग छुवें भी नही, और सपिण्डों को छूने का अधिकार है सिर्फ देवपूजा जप पाठ आदि का अधिकार नहीं है और अशौच तो जो पीछे तीन दिन का माता पिता को कहा है उतनाही यही मतपक्का है और मिताक्षरा में स्थिर भी किया है ॥

स्त्रीषु स्नानेन शुद्धेयत्रिपुरुषविषये ज्ञातिराक्षौरकालात् ॥

नामकरण के बाद मुण्डन के पहिले यदि लड़की मरे तो उस के माता पिता से अतिरिक्त तीन पुरुष के भीतर गोतिया लोगों की शुद्धि स्नान मात्र से होती है ॥

अर्वाग्वाग्दानतोऽह्ना, ॥

मुण्डन के बाद और वाग्दान (अर्थात् तिलक या टीका या सगाई [१] के भीतर लड़की मरे तो तीन पुरुष के भीतर

टि० [१] कितने लोग तिलक या फलदान या सगाई वगैरः को वाग्दान नहीं कहते किन्तु व्याह होने के पहिले उसी वखत मण्डप मे वाग्दान होता है ऐसा कहते हैं ॥

के गोतियों को एक दिन का अशौच लगता है। और तीन वर्ष के ऊपर वाग्दान के भीतर यदि मुण्डन न भी हुआ होतो भी उक्त गोतियों का एकही दिन का अशौच लगता है ॥

त्रिभिरुपयमनाद्भर्तृगोत्रं स्वकं च ॥ ४ ॥

वाग्दान के बाद और विवाह के भीतर लड़की मरे तो उसके पिता और पति दोनों के सातसात पुरुष के भीतर के गोतिया लोगों को तीनतीन दिन का अशौच लगता है ॥४॥

जन्मन्यौपेतप्रत्यावापि च दश निशा द्वादशाहानि पक्षे मासं वर्णाः क्रमेणाशुचयः, ॥

लड़का या लड़की के पैदा होने वा यज्ञोपवीत होने के बाद लड़का मरे तो उसके सपिण्डों को ब्राह्मणों मे दश दिन क्षत्रियों मे बारह दिन वैश्यों मे पन्द्रह दिन का जननाशौच वा मरणाशौच लगता है। और शूद्र जाति मे सपिण्डों को लड़का लड़की पैदा होने मे या व्याह के बाद [१] लड़के के मरने मे तीस दिन का जननाशौच वा मरणाशौच लगता है। और चारो जातियों मे व्याह के बाद लड़की मरे तो उसके पति के सपिण्डों (अर्थात् वही जो पीछे कह आये है सात पुरुष के भीतर के गोतिया लोग) उनको पूरा अशौच (अर्थात् ब्राह्मणों मे १० क्षत्रियों मे १२ दिन इत्यादि) लगता है, । और उस लड़की के पिता के सपिण्डों को तो कमती लगता है सो आगे सातवें श्लोक मे कहेंगे ॥

उचितकृच्छूद्रजातिस्तु पक्षम् ॥

जो शूद्र द्विजसेवा आदि अपने धर्म मे सदा तत्पर रहता

टि० [१] यदि व्याह न भी हुआ हो तो सोलह वर्ष के ऊपर शूद्र मरे तो इतनाही अशौच लगता है ॥

है उसको जननाशौच वा मरणा शौच पंद्रह दिन का लगताहै (१)॥

वानप्रस्थे यतौ चोपरमति कुलजे षण्डके चाप्लवःस्यात्॥

सात पुस्त के भीतर का गोतिया कोई वानप्रस्थ वासन्यासी वा नपुंसक मरे तो स्नानमात्र मे सपिण्डों की शुद्धि होती है।

योषिद्गो विप्रगुप्त्यै मृतवति च दिनम् ॥

स्त्री वा गौ वा ब्राह्मण इन के रक्षा के निमित्त जो मरे उसका अशौच सपिण्डों को एक दिन का लगता है ॥

युद्धविद्धे तु सद्यः ॥ ५ ॥

भारी लड़ाई मे जो सन्मुख कट जाय उसका अशौच सपिण्डों को स्नानमात्र से निवृत्त होता है ॥ ५ ॥

शावेऽतीते दशाहात् प्रभृति विषयके प्राक्त्रिमासात्ति रात्रम् ॥

जिस देश मे मरे और उसी देश मे उसके सपिण्ड भी वर्त्तमान हों और उनको पूर्ण मरणाशौच के जितने दिन पीछे कहे हैं उन दिनों के बीत जाने पर तीन महीने के भीतर मालूम पड़े

टि० (१) इसी प्रकार अपने अपने उत्तम धर्म मे रहनेवाले ब्राह्मण आदि को भी अशौच कमती लिखा है पर कलि काल मे वह माननीय नही है और भी अनेक प्रकार के वचनों से क्षत्रियादिकों को कम ज्यादा अनेक प्रकार के अशौच कहे हैं और एकाध वचनो मे चारो वर्णों को बराबर दशदिन का ही अशौच कहा है और ग्रन्थों में उन वचनो की व्यवस्था भी अनेक तरह कही है पर वाजिब क्या तो यही है कि ब्राह्मण को १० क्षत्रिय को १२ वैश्य को १५ शूद्रको ३० दिनका अशौच है अथवा जिसके कुल मे जितने दिन का माना जाता हो वह, क्यों कि वचन सब तरह की है ॥

तो तीन दिन का अशौच सुनने वालों को लगता है [१] ॥

पक्षिण्यापष्ठमासात् ॥

तीन महीनेके वाद छ महीनेके भीतर सुन पड़ेतो पक्षिणी (अर्थात् १२ पहर [२] का अशौच लगता है ॥

दिनमिह नवमाद् ,

यदि छ महीने के वाद और नौ महीने के भीतर पूरा मरणा शौच सुन पड़े तो एक दिन का अशौच सपिण्डों को लगता है ॥

स्यात्ततः स्नानमात्रम् ॥

नौ महीनेके वाद पूरा मरणाशौच सुन पड़ेतो केवल स्नान करने से सपिण्डों की शुद्धि होती है ॥

स्नानं देशान्तरस्थे तु,

जो मृत हुआ उसके सपिण्ड यदि देशान्तर (अर्थात् कोई बडी नदी के पार वा जहां की भाषा बदल जावे वा ढाइ सौ कोस के अन्तर) मे होवे और पूरा मरणा शौच बीत जाने पर

टि० (१) जननाशौच बीत जाने पर सुन पड़े तो और सपिण्डों को कुछ भी अशौच नहीं लगता केवल पिता को स्नान करने से शुद्धि होती है इसी प्रकार छोटे छोटे (अर्थात् ३ दिन आदि के) मरणा शौच भी यदि बीत जाने पर सुन पडे तो भी सपिण्डों को कुछ अशौच नही लगता है ॥

टि० [२] इस्की गिनती इस प्रकार होती है कि यदि रात को सुन पड़े तो वह रात और उसके पहिले जो दिन बीता सो और उस रात के आगे जोदिन आवेगा उस्के सायं काल तक। और यदि दिनको सुन पड़े तो वह दिन और उस्की आगे की रात और उस्के आगे के दिन का ४ पहर (अर्थात् सायंकाल तक) ॥

सुने तो तीन महीने के भीतर भी स्नानमात्र से उनकी शुद्धि होती है ॥

अथ पितृ विषये देशकालौ विशेषात् स्वस्वम्,

माता या पिता का मरण अशौच बीत जानेपर यदि पुत्र सुने तो चाहे बहुत दूरपर भी हो और कितने भी बरस बीते हों तो भी जिस दिन सुने उस दिन से पूरा अशौच मानना चाहिये (अर्थात् ब्राह्मण को १० दिन क्षत्रिय को बारह दिन इत्यादि) ॥

मातुः सपत्न्यास्त्रिदिनम्,

अपने सौतेरी माता का अशौच बीत जाने पर पुत्र सुनें तो चाहे अत्यन्त दूर भी हो काल भी बहुत बीते हों तो भी तीन दिन का अशौच लगता है ॥

इदमति क्रान्त्यशौचं समानम्,॥ ६ ॥

माता पिता को छोड़ और जितने अशौच (अर्थात् सौतेरी माता आदि का) इस श्लोक भर में कहा है सो चारो वर्ण (अर्थात् ब्राह्मण आदि) सब में बराबर है (अर्थात् कम ज्यादा नहीं है ॥ ६ ॥

पित्रोर्गेहे समूढाप्रसवमरणयोरेकरात्रिरात्रेस्यातां पित्रादिकानाम्,

कोई स्त्री को बाप के घर में लड़का लड़की पैदा हो तो उस स्त्री के माता पिता व सगे भाई इनको एक २ दिन का जनना शौच लगता है, और कोई स्त्री अपने बापके घरमें मरे तो उसके माता पिता सगेभाई को तीन तीन दिनका मरणाशौच लगता है। और यदि स्त्री को पति के घर में लड़का लड़की हो तो उसकी के पिता आदि को कुछ भी

जननाशौच नहीं लगता । और पति के घरमें यदि कोई स्त्री मरे तो उसके माता पिता को तीन तीन दिन का और उस स्त्री के सहोदर भाई को पक्षिणी (अर्थात् १२ पहर जैसा पीछे कहा है) उतना अशौच लगता है ॥

अथ पितृमरणे व्यूढपुत्र्यास्त्रिरात्रम् ॥

जिस लड़की का व्याह होगया हो उसको माता या पिता के मरने पर तीन दिनका अशौच लगता है । और जिसका व्याह न हुआ हो उसको तो पूरा पुत्र आदि के तुल्य अशौच लगता है ॥

प्रेतेष्वाचार्यमातामहदुहितृसुतश्रोत्रियर्त्विक्सयाज्यस्व स्त्रीयेषु त्रिरात्रम्,

यज्ञोपवीत करके जो वेद पढ़ावे, और नाना, और लड़की का लड़का जिसका विवाह या यज्ञोपवीत हुआ हो सो, [१] और संपूर्ण किसी वेदकी एक शाखाका पढ़ानेवाला, और यज्ञ करानेवाला (अर्थात पुरोहित), और यज मान, और बहिन का लड़का, इनमें से कोई मरे तो तीन दिन का अशौच लगता है ॥

त्रिदिवसमशुचिः सोदकस्तूभयत्र ॥ ७ ॥

सात पुस्तके बाद चौदह पुरुष के भीतरका व्याह व यज्ञोपवीत करने के बाद कोई मरे या किसीको लड़का लड़की पैदा

टि [१] यदि नाती या भैंने का व्याह या यज्ञोपवीत न हुआहो और मरजाय तो उसका अशौच नाना या मामा को पक्षिणी आगे लिखेंगे । इसी तरह ७ पुरुष के बाद १४ पुरुष के भीतर का भी व्याह या यज्ञोपवीत के पहिले मरे तो सोद कों की स्नानमात्र से शुद्धि होती है ॥

हो तो सोदक (अर्थात् ७ पुरुषके बाद १४ के भीतर के गोतियालोगों) को तीन दिन का मरणाशौच या जननाशौच लगता है ॥ ७ ॥

पक्षिण्याशौचमृत्विग्दुहितृसुतसहाध्यायिबन्धुतयान्तेवासिश्वश्रूसुमित्रश्वशुरभगिनिकाभागिनेयप्रयाणे ॥ मातामह्यां च पितोः स्वसरि च विरते मातुले मातुलान्यां च,

पुरोहित [१], संस्कारहीन लड़कीका लड़का साथ पढ़ने वाला, मामा या मौसी या फूआका लड़ला, बाप के मामा या मौसी या फूआका लड़का, माके मामा या मौसी या फूआका लड़का, पास रहने वाला विद्यार्थी, सासू, मित्र, ससुर, बहिन, संस्कार हीन जो बहिन का लड़का, नानी, फूआ, मौसी, मामा, मामी, इनमें से कोई मरे तो पक्षिणी मर अशौच लगता है ॥

टि० [१] पुरोहित का अशौच पीछू ३ दिनका कहा और अब कमती कहते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि यदि नगीच हो तो ३ दिन और दूरहो तो पक्षिणी या स्नेह ज्यादा हो तो ३ दिन और कम हो तो पक्षिणी या उपनयनादि संस्कार हुआ हो तो ३ दिन नहीतो पक्षिणी । या लायक हो तो ३ दिन और नालायक हो तो पक्षिणी इत्यादि । और भी जो भैने नाती आदिमे दो या तीन प्रकारके कम ज्यादा अशौच कहे जावें उनका भी इसी प्रकार तात्पर्य समझना चाहिये क्योंकि स्मृतियों में भी इन लोगोंका अशौच अनेक प्रकार का लिखा है और उसकी व्यवस्थाभी ग्रन्थोंमें ऐसीही पाई जाती है ॥

अथो सज्योतिरेव स्वविषयनृपतौ ग्रामनाथे च नष्टे ८

देशका राजा (या गांवका ठाकुर) यदि दिनको मरे तो दिन भर और रातको मरे तो रातभर अशौच लगता है ॥

शिष्योपाध्यायबन्धुत्रयगुरुतनयाचार्यभार्यासगोत्रा नूचानश्रोत्रियेषु स्वगृहपरमृतौ मातुले चैकरात्रम् ॥ रात्रिं सब्रह्मचारिणि,

चेला, किसी विद्याका सिखानेवाला मामा या मौसी या फूआका लड़का बाप के मामा या मौसी या फूआका लड़का साके मामा या मौसी या फूआका लड़का जिसने यज्ञोपवीत करके बेद पढ़ाया हो उस्की स्त्री या उस्का लड़का चौदह पुरुषके बादके गोतिया, वेदाङ्ग (अर्थात् व्याकरण आदि) का पढ़ाने वाला, बेदुआ (अर्थात् यज्ञोपवीत ब्याह आदि कर्मठ कराने वाला) ब्रह्मचर्यावस्था में साथ जो रहे, इनमें से कोई मरे, या अपने घरमे परगोत्र भी कोई मरे तो एक दिनका अशौच लगता है ॥

अथ तु कथमपि स्वल्पसंबन्धयुक्ते स्नानं वासोयुतं स्यात,

जिनका अशौच विशेषसे नहीं कहा और अपने किसी प्रकारके संबन्धी तो हैं (जैसे दामाद या साला इत्यादि) तो इनके मरने में जितना शरीर पर बस्त्र हो उसके समेत स्नान करने से शुद्धि होती है ॥

इदमपि सकलं सर्ववर्णेषु तुल्यम् ॥ ९ ॥

सातवें आठवें नवें श्लोक में जो अशौच कहे हैं और आगे जो अशौचसङ्कर कहेंगे यह सब चारो वर्णों को बराबर है (अर्थात् कमज्यादा नहीं हैं) ॥ ९ ॥

बद्धाशौचस्य मध्ये स्वपरमपि समं स्वल्पकं वा सजाति प्रेते जात्यन्तरं वा यदि भवति तदा पूर्वशेषेण शुद्धिः ॥

जननाशौच के भीतर बराबर का (अर्थात् दशाह में दशाह द्वादशाह में द्वादशाह त्र्यह में त्र्यह इत्यादि) अथवा छोटा (अर्थात् दशाह वा द्वादशाह आदि में त्र्यह आदि) जननाशौच आय पड़े तो पहिलेही अशौच में पिछिला भी अशौच गतार्थ होता है। इसी प्रकार मरणाशौचमें बराबरका वा छोटा मरणाशौच हो तो भी पहिले में पिछिला गतार्थ होता है, इसी प्रकार मरणाशौच में बराबर का या छोटा जननाशौच आय पड़े तो भी पहिले ही अशौच में पिछिले अशौच को भी गतार्थ समझना। (फलितार्थ इस जगह यह भी समझना कि जननाशौचमें बराबर का वा छोटा या बड़ा मरणाशौच आय पड़े तो पहिले अशौच में पिछिला अशौच गतार्थ नहीं होता। इसी प्रकार जननाशौच मे बड़ा जननाशौच आय पड़े वा मरणाशौच मे बड़ा मरणाशौच आय पड़े वा मरणाशौच में बड़ा जननाशौच आय पड़ [१] तो भी पहिले अशौच में पिछिला गतार्थ नहीं होता इति ॥

द्वाभ्यां तद्वाप्रिशेषे,

यदि जननाशौच वा मरणाशौच का अन्तका जो दिन उस की रात मे दूसरा संपूर्णाशौच सुनपड़े तो वह पिछिला अशौच

टि [१] इस जगह शुद्धिविवेककार का यह मत है कि छोटे मरणाशौच मे बड़ा जननाशौच आय पड़े तो पहिले मे पिछिला गतार्थ होता है इति। पर निर्णयसिन्धु मिताक्षरा आदि से यह बात विरुद्ध है ॥

दो दिन और बढ़ता है (अर्थात जिस रात को दूसरा अशौच आया वह रात और दो दिन बीतने से शुद्धि होती है) ॥

त्रिभिरपरदिनैर्यामिनीयामशेषे,

इसी प्रकार जननाशौच वा मरणाशौच का जो अन्तका दिन उसकी रात के पिछिले पहर मे दूसरा किसी प्रकार का संपूर्णाशौच आय पड़े तो उस रात को छोड़के तीन दिन और बीतने से शुद्धि होती है, (अर्थात् पहिले अशौच में पिछिला अशौच गतार्थ नहीं होता) ॥

नैत्राशौचेन पित्र्यम्,

पिता वा माता का अशौच किसी अशौच मे गतार्थ नहीं होता (अर्थात् जिस दिन आय पड़े उसदिन से सम्पूर्ण गिनके मानना पड़ता है) ॥

पितुरुपशमने पक्षिणी मातृमृत्यौ ॥१०॥

पिता के अशौच मे यदि दो दिन के बाद (अर्थात् तीसरे चौथे आदि दिनों मे) माताका अशौच आय पड़े तो पिता के अशौच के बाद एक पक्षिणी और माताका अशौच रहता है। और यदि पिता के अशौच के अन्त के दिनकी रातमे या रात के पिछिले पहरमें माता का अशौच आय पड़े तो पिता के अशौचके बाद दो या तीन दिनतक माता का अशौच रहता है ॥ १० ॥

सर्वं त्वाशौचमन्तर्यदि विदितमिदं शेषमात्रेण शुद्धिः,

जितने अशौच हैं (अर्थात् छोटे या बड़े किसी प्रकार के) वे यदि अशौच के निमित्त (अर्थात् जनन वा मरण) जिस दिन हो उस दिन न सुन पड़ें और जितने दिन का अशौच हो उन दिनों के भीतर सुन पड़ें तो उन दिनों मे

जितना काल बाकी रहे उतनाही अशौच रहता है (अर्थात् जिस दिन सुन पड़े उस दिन से दश वा बारह आदि दिन गिन के अशौच नहीं मानना) ॥

दाहाहादाहितास्तौ मरणदिवसतोऽन्यत्र कुर्यादशाहम् ॥

मरणाशौच में दश वा बारह आदि दिन की गिनती यदि अग्निहोत्री मरे तो जिस दिन उसका दाह हो उस दिन से करना चाहिये और जो अग्निहोत्री न हो वह मरे तो जिस दिन मरे उस दिन से करना, दाह चाहे जिस दिन हो उससे कुछ सरोकार नहीं [१] ॥

पूर्णे क्षात्वा सचैलं विहिताहितकृतावर्हकाः,

जब अशौच पूराहो जायतो कपड़े समेत स्नान करके वैदिक व पौराणिक कर्मों के अधिकारी अशौची लोग होते हैं [२]

टि [१] रात को अशौच का निमित्त (अर्थात् मरण आदि। प्राप्त होवे तो यदि अर्द्धरात्र के पहिले होतो पहिले दिन से समझना, और अर्द्धरात्र के बाद हो तो दूसरे दिन से अशौच की गिनती करना यह एक मत है, दूसरा मत यहहै कि रात का तीन भाग समझ के पहिले दो भाग मे होतो पहिले दिन से और तीसरेभाग मे होतो दूसरे दिनसे गिनती करना, तीसरा यह मत है कि जब तक सूर्योदय न हो चाहे दश मिनट भी बाकी होतो पहिलेही दिन से गिनना बाद सूर्योदय के दूसरे दिन से, यही मत प्रायः आज काल प्रचलित भी है ये तीनों मत मिताक्षरा में लिखे हैं ॥

टि(२) यह स्नान आदि ग्यारहवें या तेरहवें आदि दिनमे सूर्योदय के बाद करना चाहिये क्योंकि दशवें दिन तो दिन रात अशौच रहताही है केवल चौरादिमात्र उस दिन लिखा है इस लिये लोग करतेहैं पर अशौच की निवृति तो ग्यारहवे

सूतिका त्रिंशद्रात्रं न योग्या सुरपितृकर्मणे

जिस स्त्री को लड़की पैदाहो वह स्त्री तीस दिन तक देवकार्य या पितृ कार्य मे शामिल नहीं हो सकती (अर्थात् तीस दिन तक उसे अशौच रहता है) ॥

विंशतिं पुत्रसूस्तु ॥११॥

जिस स्त्री को लडका पैदा हो उसे बीस दिनतक अशौच रहता है ॥

निहत्यान्यं प्रमीतं दिवसमशुचिकः

जिस्से की किसी प्रकारका संबन्ध नही है केवल मेल मुलाकात है और जाति (अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय आदि) भी भिन्न नही है उस्के मुर्दे को जो उठावे उसे एक दिन का अशौच लगता है [१] ॥

अथासवर्णं तदुक्ताशौचः,

इसी प्रकार स्नेहादि से दूसरी जात के मुर्दे को उठावे

या तेरहवें आदि दिनमे सूर्योदय के बाद ब्राह्मण या क्षत्रिय आदि को होती है।

टि० (१) यह अशौच केवल लेजाने का है और यदि जिस्को लेजावे उसी के घरमे भी रहता हो तो तीन दिन का अशौच लगता है, और उठावे और उसी के मकान में भी रहता हो और किसी प्रकार का (अर्थात् कच्चा या पक्का) उसी का अन्न भी खाता हो तो पूरा (अर्थात् ब्राह्मण को दश दिन क्षत्रिय को बारह दिन इत्यादि) अशौच लगताहै इसी तरह किसी प्रकार के लोभ से यदि अपने जाति के मुर्दे को उठावे तो उसके घरमे न भी रहे उसका अन्न न भी खाय तो भी पूरा अशौच लगता है ॥

तो उस मुर्दे के जात का पूरा जो अशौच लिखा हो सो उठाने वाले को लगता है (अर्थात् जो ब्राह्मण क्षत्रिय का मुर्दा उठावे उसे बाहर दिन का जो क्षत्रिय ब्राह्मण का मुर्दा उठावे उसे दश दिन का इत्यादि) [१] ॥

अथानाथमाद्यक्रतुशतफलभागाप्लवेनैव शुध्येत् ॥

जिस मुर्दे का कोई भी नाथ नही है चाहे वह किसी जात का हो उसको फेकने उठाने दाहकरने आदिका अशौच केवल स्नान से निवृत्त होता है। और अनाथ मुर्दे के उठाने आदिसे बड़ा धर्म होता है ॥

नित्वोपाध्यायमातापितृपरमगुरून्ब्रह्मचारीनदोषी,

माता पिता विद्यापढ़ानेवाला यज्ञोपवीत देनेवाला इन चारो के मुर्दे को उठाने आदि से ब्रह्मचारी को पुनः उपनयनादि संस्कार वा प्रायश्चित्त नही करना पड़ता, केवल जिस् का जितना अशौच है उतने ही के मानने से शुद्ध हो जाता है ॥

तेभ्योन्यं निर्हतोऽस्यव्रतमपि वितते भूयते ऽवश्यमेव ॥ १२ ॥

इन चारो से अन्य कोई मुर्दे को ब्रह्मचारी उठावे तो उसकी अशौच के बाद बाहर दिन का व्रत कर के पुनः उप.

---

[१] यदि लोभ से उठावे तो दूना (अर्थात् ब्राह्मण जो क्षत्रिय को उठावे उसे चौबीस दिन जो क्षत्रिय ब्राह्मण को उठावे उसे बीस दिन) इत्यादि अशौच लगता है, और यदि उस मुर्दे को स्नानादि भी करावे तो पादकृच्छ्र (अर्थात् तीनदिन का व्रत) भी यदि करे तो शुद्ध होवे, और अशौच तो जितना कहा है उतना लगेहीगा ॥

जयन संस्कार करने से शुद्धि होती है ॥ १० ॥

तुल्योत्कृष्टानुयाने वसनसहितकोऽम्भस्यापाप्लुत्य वह्निं स्पृष्ट्वाज्यं प्राश्य शुद्ध्येत्,

उत्तम या बराबर के जात के मुर्दे के संग जो जावे वह कपड़े समेत स्नान करके अग्निस्पर्श करे और थोड़ा घृत खावे तो शुद्ध होता है ॥

अथ दिनमशुचिर्हीनवर्णानुयाने ॥

ब्राम्हण क्षत्रिय के, क्षत्रिय वैश्य के, वैश्य शूद्र के, मुर्दे के साथ जावे तो एक दिन का अशौच लगता है ॥

पक्षिण्येकान्तरानुव्रजने,

जो ब्राम्हण वैश्य के, और जो क्षत्रित शूद्र के, मुर्दे के साथ जावे उसे पक्षिणी (अर्थात् बारह पहर) का अशौच लगता है ॥

इह भवेद् द्व्यन्तरत्वे त्रिरात्रं कृत्वा स्नात्वा सनद्या समुद्यमनशतं सर्पिराशं च कुर्युः ॥ १३ ॥

जो ब्राह्मण शूद्र के मुर्दे के साथ जाय उसे तीन दिन का अशौच लगता है, बाद अशौच के जो नदी स्वयं समुद्र में मिली हों उसमे स्नान करे और सौ प्राणायाम करे और घी अन्त में खावे तो शुद्ध होय ॥ १३ ॥

तातम्बाचार्यकेभ्यो ऽनलजलतिलदो ब्रह्मचारी तदीयाशौचः,

माता पिता नाना गुरु इनकी दाह आदि क्रिया यदि ब्रह्मचारी करे तो जितना अशौच इन लोगों का लिखा है उतनाही अशौच लगता है ॥

अन्येभ्यस्तु तदः पुनरुपनयनं चाधिकं कार्येत्तु ॥

इन चारो को छोड़ और किसी की दाहादि क्रिया यदि ब्रह्मचारी करे तो उसको अशौच के बाद शास्त्रोक्त प्रायश्चित्त करके पुनः उपनयनसंस्कार करना पड़ता है।

अन्ये त्वज्ञातिकेभ्यो यदि ददाति तदा तत्प्रयुक्ता ऽशुभाः स्युः कुर्युः कृच्छ्रत्रयं च,

जोकि ब्रह्मचारी नही हैं वे लोग यदि परजातिकी दाहादिक्रिया स्नेह आदि से करें तो जिस जाति की क्रिया करें उस जाति का पूरा अशौच लगता है, और अशौच के बाद तीन कृच्छ्र (अर्थात् छत्तीस दिन का व्रत) करनेसे शुद्धि होती है।

अधमदहनविधौ तंतमेवाप्नुवन्ति ॥ १४ ॥

उत्तम जाति (अर्थात् ब्राह्मण आदि) यदि अधम जातिकी (अर्थात् अपने से हीन क्षत्रिय आदि की) स्नेहसे दाहादि क्रिया करे तो भारी प्रायश्चित्त करनेसे शुद्धि होती है, और अशौच भी ज्यादा लगता है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय की करे तो चौबीस दिन अशौच और बहत्तर दिन व्रत का प्रायश्चित्त, क्षत्रिय वैश्य की करे तो तीस दिन का अशौच और बहत्तर दिन व्रत, वैश्यशूद्र की करे तो साठ दिन का अशौच और बहत्तर दिन का व्रत, ब्राह्मण वैश्य की करे तो ४५ दिन का अशौच और १०८ दिन का व्रत, क्षत्रिय शूद्र की करे तो ९० दिन का अशौच और १०८ दिन का व्रत, ब्राह्मण शूद्र की करे तो १२० दिन का अशौच और १४४ दिन का व्रत करना पड़े। ये अशौच और प्रायश्चित्त तो स्नेह से क्रिया करे तो है, और लोभसे जो करे उसको स्नेह मे जितना अशौच और प्रायश्चित्त

लिखा है उसका दूना अशौच और प्रायश्चित्त समझ लेना १४

पालाशीमाहिताग्नेः प्रतिकृतिमथ वाऽस्थीनि दग्ध्वा दशाहाद्याशौचा ज्ञातयः स्युः,

अग्निहोत्री की हड्डीका दाह या पुत्तलविधान जिस दिन हो उस दिन से पूरा अशौच यथायोग्य सब को (अर्थात् सपिण्डों को) दशाह आदि औरों को त्रिरात्र आदि मानना चाहिये।

तत इतरऋणां त्रीण्यहान्येव कुर्युः ॥

और जो अग्निहोत्री नहीं हैं उनका अस्थिदाह या पुत्तल विधान जिस दिन हो उस दिन से तीन दिन तक सपिण्डों को अशौच लगता है। इस जगह कोई का ऐसा मत है कि स्त्री और पुत्र को तो पुत्तलविधान में भी दश दिन का, और सपिण्डों को तीनतीन दिन का अशौच लगता है, पर यह मत आजकल कम माना जाता है। और यह पुतला यदि अशौच के दिनों के (अर्थात् दश या बारह आदि) के भीतर जलाया जावे तो जितने दिन बाकी रहे उतनेही दिन अशौच रहता है ॥

अन्यो विप्राद्यशौचे सकृददनमदंस्तावदाशौच कृत्स्याद्यावत्तेषां तदन्ते व्रतमपि च चरेत्,

जिसको अशौच लगा है उसका छुआ सीधा अन्न यदि एक वार भी खावे तो जितने दिन का अशौच उसको लगा हो उतने ही दिन का अशौच अन्न खाने वाले को भी लगता है, बाद अशौच के प्रायश्चित्त भी करना पड़ता है, सो प्रायश्चित्त बारहदिन के व्रत से छमहीने के व्रत तक का है, इसका न्यूनाधिकभाव ब्राह्मणादिजातिभेद से, वा एकवार अन्नखाने

और अनेक वार अन्नखाने से, या जानबूझके खाने और भूल से खाने से है, सो स्वयं तजबीज करलेना चाहिये ॥

रोदने त्वेकरात्रम् ॥ १५ ॥

जो अपना संबन्धी न हो और उस के मरने से उसके भाई बन्धु मे शामिल होके ४ दिन के भीतर रोवे तो रोनेवाले को भी एक दिन का अशौच लगता है। और ४ दिन के बीत जाने पर अशौच के भीतर रोवे तो स्नानमात्र से शुद्धि हो जाती है। शूद्र के मरनेसे ब्राह्मण अस्थिसंचय के पूर्व रोवे तो तीन दिन का और अस्थिसंचय के बाद रोवे तो एक दिन का अशौच लगता है, और शूद्र के मरने मे क्षत्रिय या वैश्य यदि रोवे तो अस्थिसंचय के पहिले दो दिन, और उसके बाद एक दिन का अशौच उनको लगता है ॥१५॥

जन्मन्यस्पृश्यता नो भवति कुलभुवां मातृवर्जम्,

जननाशौच मे जिस स्त्री को प्रसव हो उसको मात्र छूना न चाहिये और सपिण्ड आदि को छूनेकी चिन्ता नहीं ॥

पितुस्तु स्नानादूर्द्ध्वं सचैलात्,

जननाशौच मे जो लड़का या लड़की पैदा हुआ है उसका पिता स्नान करके तो और लोगों को छुवे तो चिन्ता नहीं ॥

अथ निधनकृताशौचकेऽल्पे त्रिभागे ॥ पूर्वांशस्योपरि,

छोटे (अर्थात तीन दिन आदि के) मरणाशौच मे भी संपूर्ण अशौचकाल के तीन भागमे से एक भाग बीत जावे तो छूने का दोष नहीं ॥

इत्थं महति च यदि संचयनं वृत्तमासीत्,

पूरे मरणाशौच (अर्थात् दशाहादि) मे भी यदि अस्थि संचय हो चुका हो तो सम्पूर्ण अशौचकाल के तीन भागमे से एकभाग बितायके स्पर्श करने मे कोई दोष नहीं ॥

नो चेतस्योपरिष्टात्,

यदि संपूर्ण अशौचकाल के तीनभाग के पहिले भाग मे अस्थिसंचयन न हुआ हो तो जब अस्थिसंचय हो उसके बाद छूने का अधिकार है पहिले नहीं। पर यह कलिकाल मे वर्ज्य है इस लिये मरणाशौच जबतक संपूर्ण न बीत जावे तबतक ज्ञाता लोग किसी को नही छूते ॥

अथ तु गृहजयोर्दासयोराप्लवोर्द्ध्वम् ॥ १६ ॥

जिसकी माता जिस घर से दासी थी और स्वयंभी उसी घरमे काम करता हो ऐसा दास या दासी को मालिक के घर मे कोई मरे तो स्नान के बाद छूने का अधिकार है, और सूतिका (अर्थात् जिस स्त्री को लड़का या लड़की होवे) उसके दासी को तीस दिन के बाद छने का अधिकार होता है।

अन्नेनोपात्तयोस्तु त्रिरजनिचरणात्,

जो दास या दासी मालिक के घर का अन्न खाते हों तो उनके मालिक के घर मे यदि अशौच आवे तो उन दास दासियों को तीन दिन के बाद छूनेका अधिकार है ॥

दत्तदासादिकानां स्वाम्याशौचाहसंख्यासमदिनगमनाद्ध्वम्,

दान मे मिले या खरीदे या अकाल मे आये इत्यादि दासों को मालिक के घर मे अशौच पड़ने से जब मालिकको छूने का अधिकार होताहै तभी उन को भी छूने का अधिकार

होता है और सब जितने प्रकार के दान हैं उन को देवपित्र कार्य आदि न करने का अशौच तो तीस दिन का लगता है पर केवल स्पर्शकरने मात्र का जुदा जुदा जो जिस्का काल है सो दिखाय दिया है ॥

अन्यत्तु सूक्तम् ॥

यह केवल स्पर्श का अधिकार किस को कितने दिन मे होता है सो दिखाया है और देवकार्य पितृकार्य न करने का अशौच जो जिस् को है सो तो मैं पीछे कह चुका ॥

जातेऽपत्ये तु तस्मिन्नहनि निशि च तन्मङ्गलार्थेषु योग्याः,

जिस दिन लड़का या लड़की पैदा हो और उस् का नाल न कटे उस दिन और छठवें दिन और दशवें दिन से जो दान पूजा आदि कर्म शास्त्र मे लिखे हैं उन कामों में पिता आदि जो उस् कर्म के अधिकारी हैं उन को अशौच नहीं है, और उस् समय के दान आदि लेनेवाले ब्राह्मणों को भी कुछ दोष नहीं, केवल भोजनमात्र ब्राह्मणलोगों को न करना चाहिये ।

सर्वाशौचं सदा नो भवति यतिवनिब्रह्मचर्यस्थिता नाम् ॥ १७ ॥

जितने अशौच हैं वे सन्यासी और वानप्रस्थ और ब्रह्म चारी इन को नहीं लगते ॥ १७ ॥

तत्तत्कार्येषु सत्रिव्रतिनृपनृपवद्दीक्षितत्विक्स्वदेशभ्रंश्या पत्स्वप्यनेकश्रुतिपठनभिषक्कारुशिल्पातुराणाम् ॥ संप्रारब्धेषु दानोपनयनयजनश्राद्धयुद्धप्रतिष्ठाचूडातीर्थार्थयात्राजपपरिणयनाद्युत्सवेष्वेतदर्थं ॥ १८ ॥

जिस का अन्न आदि का सदाव्रत चलता हो तो उसके घर मे अशौच पड़नेपर भी सदाव्रत बन्द नहीं करना, जो मनुष्य चान्द्रायण (अर्थात एक महीने का व्रत) आदि प्रारम्भ कर चुका और बीच मे अशौच आया तो भी उस व्रत को न छोड़ना, राजा महाराजा और उनके दीवान आदि बड़े बड़े कामदारों को अशौच मे भी जरूरी कचहरी आदि के काम निपटाने मे कोई दोष नहीं। जो कि अग्निष्टोम आदि बड़े बड़े याग मे दीक्षित हो के उसे कररहा है वा ऐसेही यज्ञ मे वरण लेके ऋत्विक् का काम कर रहा है उसको अवभृथ स्नान जो यज्ञ मे होता है उसके पहले अशौच भी आवे तो उन यज्ञके कामों को संपूर्ण करना चाहिये, हैजा शीतला आदि देशोपद्रव को मन्त्रआदि किसी प्रकार से जो हटा सक्ता है वह अशौच मे भी हो तो उक्त देशोपद्रव आय पड़ने पर उस उपद्रव की शान्ति के वास्ते उपाय करने मे उसे दोष नहीं, जोकि रोज वेद वेदाङ्ग आदि का अभ्यास करते हैं और अशौच मे उसे छोड़ देने से पढ़ा हुआ भी भूल जांय वे यदि अशौच मे भी पढ़ें वा ग्रन्थों का अवलोकन करें तो दोष नही, वैद्यलोग अशौच मे भी नाड़ी देखें तो दोष नही, कारु (अर्थात् हाथ से काम करनेवाले धोबी आदि) लोगों को भी अशौच मे अपने जरूरी काम करने का दोष नहीं, शिल्पि (अर्थात् औजार के जरिये से काम करनेवाले बढ़ई सुसौअर आदि) लोगों को भी जरूरी काम अशौच मे करने का दोष नहीं, अत्यन्त रोगग्रस्त मरणासन्न को भी अशौच में दशदान आदि करनेका दोष नहीं तुलादान आदि बड़ेबड़े दानों का प्रारम्भ (अर्थात् पूर्वसंकल्प नान्दीश्राद्ध आदि) हो चुका और अशौच आय पड़ा तो उसे भी समाप्त करने का अशौच

में दोष नहीं, यज्ञोपवीत में भी मातृका पूजनादि होने के बाद अशौच आय पड़े तो उसे भी समाप्त करने का दोष नहीं, वृषोत्सर्गआदि छोटे यज्ञोंका भी प्रारम्भ हो चुका और कर्म काण्ड हो रहा है और उसी बखत अशौच आयपड़ा तो उसे भी पूरा करने में कोई दोष नहीं श्राद्ध का भी पाक व संकल्प आदि हो चुका है बाद अशौच आवे तो उसे भी समाप्त करने का दोष नहीं, अशौचही में यदि कोई दुश्मन युद्ध करने के लिये चढ़ आवे तो राजा को उससे युद्ध करने का दोष नहीं, देवस्थापना में जलाधिवासनादि होने के बाद यदि अशौच आवे तो उसे भी पूरा करना, मुण्डन में भी थोड़ाही काम बाकी रहते अशौच आयपड़े तो उसे भी पूरा ही करना, तीर्थ करने वास्ते वा द्रव्य कमाने वास्ते जो मनुष्य घर से दूर जा चुका और उसको बीचमें अशौच आयपड़ा तो वह न लौटे तो भी दोष नहीं, भारी किसी पुरश्चरण में कोई बैठा तो उसे अशौच में भी बन्द न करे तो चिंता नहीं, विवाह में नान्दीश्राद्ध होनेके बाद यदि अशौच आयपड़े तो उसे भी न रोके तो दोष नहीं, और भी इसी प्रकार के कूपतड़ागाद्युत्सर्ग के प्रारम्भ हो जाने के बाद यदि अशौच आयपड़े तो उन कामों को भी बन्द न करे तो दोष नहीं, ॥ इस संपूर्ण श्लोक का तात्पर्य इतनाही है कि जिस काम के बन्द करदेने से बड़ा भारी नुकसान हो तो उसे अशौच में भी करना, और यदि किसी प्रकार बच सके तो सो बहुत ही अच्छा है ॥ और भी बहुत बात और ग्रन्थों में लिखी हैं, जैसे ब्राह्मण आदि सन्ध्योपासन अशौच में भी करें, मन्त्रोंका स्पष्ट उच्चारण न करें मन में पढ़ें और सूर्यार्घदान में गायत्री स्पष्ट पढ़ें। अग्निहोत्रीलोग नित्यहोम के बखत स्नान करके द्रव्यत्याग करदेवें कोई चीज छूवें नहीं और हो सो आदि दूसरा कोई करे इत्यादि ॥ १८ ॥

नाशौचा ज्ञातयः स्युः पतितपतिसुतब्रह्मविद्घातिनीषु दोषात् पाषण्डचौराश्रमरहितसुरापेयहीनोपगासु ॥ संदर्पात्सर्पविप्रक्षितिपपशुदिवाकीर्त्तिकाद्यैर्हतेषु स्वेच्छापूर्वं च शस्त्रज्वलनजलविषानाशकाद्यैर्मृतेषु ॥ १९ ॥

पतित (अर्थात् ब्राह्मणबध आदि भयानक पाप के करने वाले) और पति वा लड़का वा लड़की वा गर्भब्राह्मण इनके घात करनेवाली स्त्री, और पाखण्डी (अर्थात् श्रुतिस्मृति से बाह्य मनमाने पन्थाई जो कि जगह जगह आज कल्ह पुजाय रहे हैं, और ब्राह्मण का सोंना चांदी आदि भारी रकम के चोराने वाले) और जिस को जिस आश्रम की सामग्री है और उस्के धर्म को नहीं निवाहते, और जो द्विजाति मदिरा पान करते हैं, और जो स्त्री अपने से नींच जाति वा गुरु वा शिष्य से फंसी हो, इन सब के मरने में सपिण्ड आदि संबन्धी लोगों को अशौच नहीं लगता ॥ और सांप वा राजा वा ब्राह्मण वा नीच (अर्थात् चमार डोम आदि) या गौ भैंस बाघ भेडिया आदि को क्रोध जनमाय के उनसे मरे उस्का भी अशौच नहीं लगता, और क्रोध वा शोक आदि के कारण से पेट मार के वा जहर खाय के वा आगमें कूदके वा अनछोड़के वा फासी लगाय के वा कूपमें कूद के इत्यादि अपघात से जो मरें उनका भीअशौच नहीं लगता ॥ १९ ॥

नाशौचं शाककाष्ठाजिनलवणतृणक्षीरनीरामिषेषु पुष्पे मूले फले चौषधिदधिमधुषु स्यात्तिलेक्ष्वामभोज्ये ॥ दद्यादद्यादिमानि स्वयमनुमननात्स्वामिनो यातिजाता शौचे वाकृत्रिमे वा,

तरकारी लकड़ी चमड़ा नून घास दूध पानी मांस पान फूल फल मूल दवा दही घी सहत तिल तेल ऊख का बिकार (अर्थात गुड़ आदि) कच्चा (अर्थात बिना पकाया) अन्न, लड्डू आदि पकवान, इस तरह की चीजें अशौची की भी लेने में दोष नहीं, पर अशौची इन चीजोंको छूवे नही दूसरे से निकलवा देवे ॥

पणितमपणितं चापि सर्वं शुचि स्यात् ॥ २० ॥

बजार की चीज सब पवित्र है, अर्थात् दुकानदारको अशौच भी लगा हो तो उसके दुकान की चीज अगर वह न छूवे तो लेने में कोई दोष नहीं ॥ २० ॥

जातारण्यग्निनाऽर्वाक् पारिणयनविधेर्दग्धि,

जिस ने गृह्याग्नि (अर्थात् स्मार्त्ताग्नि) नहीं जबतक लिया है उसका दाह उसके जातकर्म के समय की जो अरणि (अर्थात् शमीकी लकड़ी जिस्से कि रगड़के आगी निकाली जाती है)उसीके अग्नि से करना ॥

आधानकालाद् गृह्येण,

गृह्याग्नि लेने के बाद जबतक श्रौताग्नि न लेवे तबतक उसका दाह उसी गृह्याग्नि से करना ॥

ऊर्ध्वं तु विध्याहितहुतवहनैः,

जिसने अग्निहोत्र लिया है उसका दाह उसी अग्निहोत्र की अग्नि से करना ॥

लौकिकेनाऽन्यभावे॥

जिस को कि गृह्याग्नि वा श्रौताग्नि किसी प्रकार की अग्नि नहीं है उसका दाह सामान्य किसी अग्नि से करदेना ॥

चाण्डालाग्निं चिताग्निं पतितहुतभुजं सूतिकाऽमेध्य वह्नीन् जह्यात्,

डीम की चिता की पतित की सूतिकागृह (अर्थात् सौरी का घर) उसकी घोड़ा ऊंट की लीद आदि अशुद्धवस्तु की अग्नि से दाह न करना ॥

शूद्राहतेनेन्धनदहनघृताद्येन दाहोऽप्यदाहः॥ २१ ॥

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों के दाहआदि के वास्ते लकड़ी घी अग्नि आदि कोई चीज शूद्र न लावे, यदि शूद्रसे मङ्गाय के कोईकाम होवे तो वह वृथा होता है, और उस मृतक की दुर्गति होती है ॥ २१ ॥

सर्वं तूष्णीं विदध्यादुपनयनविधेःप्राक्,

जबतक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का उपनयन (अर्थात् जनेऊ नहीं हुआ है और स्त्री वा शूद्र इन का बिबाह नहीं हुआ है तबतक उनकी दाहआदि क्रिया मन्त्ररहित करना । यहां पर यह ख्याल रखना चाहिये कि जो अत्यन्त बालक अवस्था मे मरें वे उनका दाहादि तो होगाही नहीं पर जिस का होगा उसके लिये यह बात है इति ॥

परन्तु स्वशाखागृह्योक्तैस्तद्विधानैः,

द्विजाति का उपनयन के बाद और स्त्री वा शूद्र का बिबाह के बाद दाहआदि सबकाम अपने अपने शाखा सूत्र के अनुसार मन्त्र पूर्वक करना ॥

सकलशवविधिं ज्येष्ठपुत्रोऽवरो वा ॥ पुत्राभावे क्रमेण स्वकुलजजननीवंश्यशिष्यर्त्विजोवाऽऽचार्यो वा,

जो मृत हुआ है यदि उसके अनेकपुत्र हों तो चाहे वे बेटे अलग हों और चाहे एक में हों पर दाह से प्रारम्भ कर के सपिण्डी पर्यन्त सबक्रिया जेठाही बेटा करे, यदि वह न पहुंच सके वा पतित आदि कारणसे अनधिकारी हो तो उससे छोटा, वह

भी न पहुंचे तो उससे छोटा इसी क्रम से पुत्रों को अधिकार है। और यदि दाहादिक्रिया में बड़ा बेटा न पहुंचसका और छोटे लड़के ने किया तो भी सपिण्डीश्राद्ध बढ़ाही करे चाहे कितनें दिन भी बीतें तो चिन्ता नहीं॥ अब इस जगह ग्रन्थ कार लोगों ने तेरह तरहके पुत्र लिखे हैं और उनमें किसके बाद किसको दाहादि में अधिकार है इसके भी बड़े २ शास्त्रार्थ किये हैं, पर वे सब व्यर्थ हैं, कारण कि कलियुग में औरस (अर्थात् अपनी व्याहता स्त्री में अपने से पैदा किया) और दत्तक (अर्थात् विधिसे, जिसे गोद लिया) इन दोनों को छोड़ और सब तरह के पुत्र निषिद्ध हैं तो उनका शास्त्रार्थ उसी ग्रन्थ में चाहिये कि जो ग्रन्थ सतयुग आदि में बना है या जो कि तब तक लुप्त न होसकेगा, इसी लिये इस ग्रन्थ में उसको नहीं लिखते। औरस पुत्र न हो तो दत्तक को दाहादि का अधिकार है। औरस और दत्तक में इतना भेद है कि औरस पुत्र का मुण्डन हो गया हो तो मंत्रपूर्वक पिता माता का दाहादि करे, न भी मुण्डन हुआ हो और तीन वर्ष के ऊपर का हो तो भी करे, अगर और कामों को वह न भी करसके तो अग्नि दान तो जरूर उसके हाथ ही से लोग करावें बाद सब काम दूसरे जो अधिकारी हैं सो करें, और दत्तक का तो यदि उपनयन हुआ हो तो पिता माता का कृत्य कर सक्ता है और जब तक उपनयन नहीं हुआ तबतक उसको दाहादि करने का अधिकार नहीं॥ औरस या दत्तक कोई तरह का पुत्र नहो तो पौत्र (अर्थात् बेटे का बेटा) वह भी न हो तो उसका बेटा (अर्थात् प्रपौत्र) प्रपौत्र भी न हो तो पत्नी (अर्थात् बिवाहिता स्त्री) स्त्री भी न हो तो सगा छोटा भाई, वह भी न हो तो सगा बड़ा भाई, वह भी नहो तो सौतेरा भाई छोटा, वह भी न हो तो सौतेरा बड़ा

भाई, यदि सगे या सौतेरे छोटे बड़े अनेक हों तो मृतक के जन्म से जिस का जन्म नगीच हो वह अधिकारी, पर छोटे के रहते बड़ा या सगे के रहते सौतेरा जन्म से नगीच का भी हो तो अधिकारी नहीं हो सक्ता, भाई भी न हो तो भाई का बेटा, अब यहां भी पूर्व मे जैसी व्यवस्था भाई की दिखाई है वैसीही भाईके बेटों की भी समझ लेना (अर्थात् सगे भाई के लड़के के रहते सौतेरे का लड़का अधिकारी नहीं है, और सगे मे भी छोटे भाई के लड़के के सामने बड़े भाई का लड़का भी अधिकारी नहीं है इत्यादि), भाई का लड़का भी न हो तो पिता, पिता भी न हो तो माता, माता भी न हो तो पुत्रवधू पुत्रवधू भी न हो तो सपिण्ड (अर्थात् चाचा चचेरे भाई आदि सात पुरुष के भीतर के गोतिया), इन मे भी नगीच जहांतक मिले तो दूरका अधिकारी नहीं है। सपिण्ड भी न हो तो सोदक (अर्थात् १४ पुरुष के भीतर के गोतिया लोग), सोदक भी न हों तो लड़की [१] लड़की भी न हो तो लड़की का लड़का, नाती भी न हो तो बहिन [२], बहिन मे भी सगी सौतेरी आदि की व्यवस्था भाई के तरह से समझ लेना। बहिन भी न हो तो बहिन का बेटा, और

[१) कोई ग्रन्थकार कहते हैं कि यदि भाई विभक्त हो तो भाई के पहिले (अर्थात् पत्नी ही के बाद) लड़की और लड़की के लड़केको दाहआदि का अधिकार है और यदि विभक्त न हो तो भाई का अधिकार है ॥

[२] कोई ग्रन्थकार कहते हैं कि सपिण्ड के भी पहिले (अर्थात पुत्रवधूही के बाद) बहिन और भानूजे को दाहादि का अधिकार है, परन्तु यह बात मध्यदेश मे प्रायः प्रचलित नहीं है ॥

भानूजा भी न हो तो माता के सपिण्ड वा सोदक (अर्थात् नाना मामा आदि), इन मे भी जहांतक नगीच मिलसके तो दूरके अधिकारी नहीं हैं। मातृगोत्र मे भी कोई न हो तो फूआ का लड़का, वह भी न हो तो मौसी का लड़का, वह भी न हो तो बाप के मासा का बेटा बाद बाप के फूआ का बेटा, बाद बाप के मौसी का बेटा बाद माके मामा का बेटा बाद माके फूआ का बेटा, बाद माके मौसी का बेटा, वह भी न हो तो रखेलीस्त्री, इस मे भी जबतक सजाति हो तो विजाति को अधिकार नहीं है, और द्विजाति के दाहादि मे शूद्रजातिस्त्री को तो कथमपि अधिकार नहीं है [१], रखेली स्त्री भी न हो तो चेला या विद्यार्थी या शागिर्द, वह भी न हो तो जो जिस् घर का कर्मठ करानेवाला हो सो, वह भी न हो तो गुरू या उस्ताद, वह भी न हो तो सहाध्यायी (अर्थात् एक संगजिसने कोई भी विद्या पढ़ा हो) सो, वह भी न हो तो दामाद, दामाद भी न हो तो श्वशुर, श्वशुर भी न हो तो मित्र, वह भी न हो तो मरती बखत जिस्को धरमका बेटा बनाजावे सो, वह भी न हो तो उस देश का राजा किसी से मृतक का दाहआदि करा देवे और उस्का धन जो कुछ उस्के कृत्य मे बचे उसे अपने खजाने मे रखे, पर ब्राह्मणका धन राजा अपने खजाने मे न लावे किन्तु जिस ब्राह्मण से दाह करावे उसीको बाकी हो सो देवे ॥ और राजा यदि मरे और उस्के सपिण्डस गोत्र पर्यन्त कोई न हो तो उस् का दाहादि क्रिया पुरोहित वा मन्त्री वा

[१]रखेली स्त्रीको उसीका अधिकार है कि जो एकही के पास रहती हो, और जोकई पुरुषों से फसी हो उस्को अधिकार नहीं है ॥

सेवक इन मे से जो हो सो क्रम से करे ॥

स्त्रियोमें विशेष इतना है कि जबतक विवाह नही हुआ है तो पहिले पिता उसके अभावमे भ्राताआदि जो पुरुष के अधिकारी कहे सो । विवाह होने बाद औरस पुत्रके अभाव मे सबतका बेटा, तो दत्तक, और जिस स्थान मे पीछे पत्नी लिखा, है उस स्थान मे पति, उसके बाद पति का भाई (१)उसके बाद पति के भाई का बेटा तिस के बाद पुत्रबधू तिस के बाद पिता माता आदि जो पीछे कहे हैं सो [२]

योऽत्र कुर्यात् प्रथमदिनविधिं सोऽपि तत्सूतकान्तम् २२

पीछे जितने अधिकारी दिखाये हैं उनमेसे पहिले दिनकी दाहादि क्रिया जोकरे वही दश दिन तक आद्धादि कृत्य करे (अर्थात् दश दिन के भीतर यदि नगीची अधिकारी पुत्रआदि पहुच भी जाय और दाहआदि क्रियादूसरेने प्रारम्भ करदिया हो तो पुत्रादि एकादशाहआदि करे दशगात्र से कुछ प्रयोजन न रखे) यदि दूर का अधिकारी (अर्थात् भतीजा आदि)

---

[१] देवर आदि के पहिलेही कोई ग्रन्थकार लड़की वा नाती का अधिकार बताते हैं ॥

[२] तात्पर्य सबका यह है कि विवाह के बाद स्त्री अपने माबाप के गोत्र से छूटजाती है और अपने पति के गोत्र से मिलजाती है और उसकी सपिण्डी भी उसी पति के गोत्रजों के साथ ही होती है तो जबतक पति के गोत्र के कोई भी नगीची मिलसके तबतक उस स्त्री के मातृ कुल के या पितृकुल के अधिकारी नहीहोसकते, यदि पतिकुलमे कोई नहो तो पितृकुलके अधिकारी होते हैं, उसमेभी कोई नहो तो मातृकुल (अर्थात् उसस्त्री के नाना के घरके लोग) अधिकारी होते हैं इत्यादि विचार लेना ॥

चाहे तो एकादशाहादि भी कर सक्ता है परन्तु पुत्रके रहते सपिण्डीश्राद्ध दूसरा कोई नहीं कर सक्ता चाहे पुत्र कितने भी दूरहो और कितने दिन भी बीतजांय लेकिन सपिण्डी वही करेगा, हां जिसको पुत्र नहीं है वा अनधिकारी है उसकी सपिण्डी पूर्वके लिखे क्रमसे और लोग भी कर देवें परन्तु स्त्री का सपिण्डन पति या पुत्र इनी दोनो मे से यदि कोई हो तो होसक्ता है नहीं तो नहीं और बाकी कृत्य सब दूसरे अधिकारी कर देवें उतनेही से उसकी गति हो जाती है ॥

आनाम्नः स्नानमात्रं न जलहुतवहौ,

जब तक नामकरण नहीं हुआ है और लड़का या लड़की मरजावे तो उस्का दाह नहीं करना (अर्थात् चाहे गाड़ देना, याकिसी महानदी आदि मे फेंक देना) और उसको तिलाञ्जलि व पिण्डआदि कुछ नहीं करना ॥

नामवर्षत्रयान्तः कामं चोर्द्ध्वंतु नित्यौ भवत उपरते ऽचौलके,

नामकरण के बाद जब तक तीन बर्ष पूरा न हुआ हो और मुण्डन न हुआ हो तो चाहे दाह तिलांजलि आदिकरे वा न करे (अर्थात् दोनो पक्ष शास्त्रसंमत है) तीन बरस के बाद यदि मृत्यु हो तो मुण्डन भी हुआ हो तो दाह तिलांजलि आदि आवश्य करना चाहिये ॥

चौलयुक्ते ॥ नित्यौ कालाविसेषात्,

जिस्की मृत्यु मुण्डन हो जाने के बाद होवे तो चाहे वह कितना भी छोटा होवे तो उस्का दाह तिलांजलि आदि अवश्य करना चाहिये ॥

अथ पितृमुखराः स्नापयित्वाम्बरस्रग्गन्धाद्यैः शोभयि

स्वा मृतमथ खनने योग्यमाज्यैर्विलिप्य ॥ २३ ॥

पिता या भाई आदि जो मुर्दे को गाड़े वह पहिले उस मुर्दे को स्नान करावे बाद नया सफेद कपड़ा सफेद फूल की सुगन्धित माला अतरआदि से भूषित करे बाद घी से खूब मुर्दे को तर करके तो गाड़े ॥

प्रत्यग्द्वारान्नगर्या बहिरवनिसुरं क्षत्रियं तूत्तरेण प्राग्द्वारेणैव वैश्यं पितृदिशि वृषलं नाययित्वाऽनुयायुः । वर्षीयःपूर्वम् , ।

जिस शहर या बाजार या गांवआदि में चारोतरफ निकलने की राह हो, और मुर्दे को शहरआदि से बाहर निकालना हो तो ब्राह्मणजाति के मुर्दे को पश्चिम तरफ से, क्षत्रिय को उत्तर तरफ से, वैश्य को पूरब तरफ से, शूद्र को दक्षिण तरफ से निकालना, और निकालने की बेला ज्यादा उमर के लोग आगे चलें और छोटी अवस्था के लोग पीछे चलें और मुर्दे के संग सपिण्ड या सगोत्र या मित्र आदि को अवश्य जाना चाहिये ॥

ऊनद्विशरदुपरतौ नानुयाने नियामः,

दो बरस से कम उमर का जो मुर्दा हो उसके साथ सपिण्ड आदि यदि नभी जावें तो कोइ हर्ज नहीं ॥

शूद्रैःस्पृष्टोऽथ वोढ़ो यदि भवति तदा प्रेतभावान्न मुक्तिः२४

द्विजाति (अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य) के मुर्दे को भरसक शूद्र न उठावे, क्योंकि द्विजाति का मुर्दा शूद्र छुवे तो जो मरा है उसके संबन्धीलोगों को बड़ा दोष होता है ॥२४॥

ज्ञातीनां मातृपित्रोरपि परमगुरोर्नित्यमम्भः,

सपिण्ड मरे तो सपिण्डों को, सोदक मरे तो सोदकों को, माता या पिता मरे तो पुत्रों को, नाना मरे तो नाती को, आचार्य मरे तो शिष्यों को, जब तक अशौच रहे तबतक जरूर रोज तिलोदक उसके नामसे देना चाहिये ॥

अथ मित्रप्रत्तास्वसीययाज्यश्वशुरगुरुसुहृद्याजकानां यथेच्छम् ॥

मित्र मरे तो मित्र, बिवाह होने के बाद लड़की या बहिन मरे तो पिता या भाई, भैने मरे तो मामा, यजमान मरे तो पुरोहित, श्वशुर मरे तो दामाद, उस्ताद मरे तो शागिर्द, किसी कार्य के जरिये जिससे मेल हुआ हो वह मरे तो उसका मेली, पुरोहित मरे तो यजमान, यदि तिलोदक नभी देवें तो कोई विशेष हर्ज नहीं ॥

न व्रात्यब्रह्मचारिव्रतियतिपतितक्लीबपाषण्डिचोरादयुः,

व्रात्य (अर्थात् जिस ब्राह्मण का १६ बरसतक उपनयन नहीं हुआ, व जिस क्षत्रिय का २२ बरस तक उपनयन नहीं हुआ, व जिस वैश्य का २४ बरस तक उपनयन नहीं हुआ ये), और विधि से जो ब्रह्मचर्य करता हो (अर्थात् जिस का समा वर्त्तन न हुआ हो सो), किसी चान्द्रायणआदि बड़ेभारी व्रत का नियम कर के जो बैठा हो सो, और संन्यासी, और पतित, (अर्थात् किसी भारी पाप कर के जो जातिसे छूटा हो) वह, और जो जन्महीं से ऐसा नपुन्सक है कि किसी प्रकार उसका वह दोष नहीं मिट सक्ता सो, और जो कि वेद शास्त्र विरुद्ध आज कलह बहुत से मत फैले हैं उसको जिसने स्वीकार किया है वह, और किसी प्रकार दूसरे का धन दबा लेनेवाला, ये लोग अपने संबन्धी का तिलोदक आदि न देवें (अर्थात् ये

लोग उदकदानादि मे अनधिकारी हैं) ॥

येत्वत्र पिण्डानलजलकथनाऽनर्हकास्ते तु सूक्ताः २५

पतित आदि यदि मरें तो उनका पिण्ड जल अग्नि आदि न देना यह बात उन्नीसवें श्लोक से पीछे जाहिर हो चुकी है (अर्थात् जिस्के मरने मे घरवालों को आशौचही का निषेध है उस्को जल आदि न देना यह बात अर्थात् सिद्ध हुई) तो उस्को यहां लिखने का काम नहीं । परंतु उस श्लोक मे संन्यासी का नाम नहीं है सो संन्यासी यदि मरे तो उस्का भी दाह आदि कुछ नहीं करना चाहिये यह ध्यान रखना उचित है ! हां किसी ग्रन्थ में लिखा है कि जो सन्यासी होके मरे उस्का पुत्र उस्के नाम से संन्यासियों को खिलावे और ग्यारहवें दिन पार्वण श्राद्ध भी करे इत्यादि, लेकिन यह केवल पुत्रादि के संतोष होने के वास्ते मालूम होता है, वा जोकि ऐसे संन्यासी हैं कि पुत्रादि से अन्नादि का सम्बन्ध रखते हों उन के वास्ते है, और जो कि ठीक ठीक संन्यासी हो गये उन के पुत्रादिकों को उन के वास्ते कुछ भी न करना चाहिये ॥ २५ ॥

संस्कृत्यानीक्षमाणाः सकलकुलभुवो बालपूर्वं व्रजित्वा नादेये वृद्धपूर्वं पयासि सबसना एक वारं निमज्ज्य ॥ पाषाणे त्रिःसकृद्वा प्रतिदिनमुदकं ब्राह्मणे दक्षिणास्याः क्षत्रे तूदङ्मुखा वै मृतबाति विशि तु प्राङ्मुखास्ते ददीरन् ॥ २६ ॥ स्नायुर्भू योपि तत्र,

जब मुर्दे का दाह हो जाय तो श्मशान से सबलोग चलें तो चलने की वख्त पीछे (अर्थात् श्मशान की तरफ) न देखें और जो थोड़ी अवस्था के हों उन्हे आगे कर के बड़े लोग

पीछे चलें बाद जहां स्नान की जगह है वहां पहिले बड़े लोग जल मे उतरें और छोटे पीछे उतरें, बाद सबलोग मै कपड़े के एकएक गोता लगावें, बाद पत्थर के ऊपर एक २ वा तीन२ तिलाञ्जलि सबलोग मुर्दे का नाम गोत्र बोल के देवें, उस्मे मुर्दा यदि ब्राह्मणजाति का हो तो दक्षिणमुख और क्षत्रिय हो तो उत्तर मुख और वैश्यहो तो पूर्वमुख और शूद्र हो तो चाहे जिस दिशाके तरफ मुख रखके तिलोदक देवें, बाद फेर स्नानकरें (अर्थात् अच्छी तरह देह और वस्त्र आदि को धोवें) इसी प्रकार जब तक अशौच रहे तब तक अशौची लोग वा उनके साथ जो उनके इष्ट मित्र जावें सबको रोज स्नान व तिलोदक करना चाहिये । तिलोदक की सङ्ख्या कोई कहते हैं कि रोज एक बढ़ाना (अर्थात् पहिले दिन एक दूसरे दिन दो तीसरे दिन तीन इत्यादि) कोई का मत है कि पहिले दिन तीन दूसरे दिन छ तीसरे दिन नौ इस चालसे बढ़ाना, कोई कहते हैं कि रोज एकही देना, तो जिस्के कुल में जैसा चला आया हो वही ठीक है, या जितनीही तिलाञ्जलि ज्यादे दियी जावेगी उतनीही अधिक मृतक को सुखद होगी। किस्को तिलोदक देना आवस्यक है और किस्को नहीं सो पीछे कह आये, पर जो देवे सो इस तरह से देवें यह बात यहां कहा ॥

त्रिनिशमनशना ज्ञातयोऽहर्निशं वा क्रीतोत्पन्नाशनावा,

जिन के घरमे कोई, मरजावे वेलोग तीनदिन तक भोजन न करें जिस से न होसके तो एक दिन उपास करे, सोभी न होसके तो बाजार की कुछ चीज मङ्गाके या बिना मांङ्गे जो कुछ कोई ला देवे उतनेसे निर्बाह करे (अर्थात् घर का अन्न आदि न खाय) ॥

आमिषलवणपयः क्षीरमन्नं त्यजेयुः ॥ स्त्रीसंगं मंगलानि व्यसनहसनमुद्रोदनोच्चासनानि,

मांस नून दूध खीर मालपुआआदि उत्तमअन्न स्त्रीका भोग अथना ककही रोरी फुलेल पान धोयाकपड़ा इत्यादि माङ्गलिक वस्तुमात्र नशा की चीज परिहास उत्साह (अर्थात् गीत बाद्य आदि) रोना खाट पलङ्गआदि उत्तम बिछौना इत्यादि सब चीज जहां तक बनपड़े अशौच मे बचाय देना, और नभी बन पड़े तो जब तक अस्थि संचयन नही हुआ है तब तक तो जरुर इन सब चीजों को बचाना ॥

तार्णास्तीर्णाः क्षितौ ते पृथगतिनियताः संविशेयुर्निशायाम् ॥ २७ ॥

अशौचीलोग रात को बड़ी पवित्रता से चटाई बगैरह पर बड़ी खबरदारी से अलगअलग सूतें (अर्थात् जिस्मे कोई तरह की मन में ग्लानि वा भय नहो ऐसे प्रकार से रहें] ॥ २७ ॥

संस्कर्त्ता दर्भपुञ्जे समधु दहनतः प्रत्यहं पिण्डमेकं भूमावेवावपेत प्रथमादिनचरुद्रव्यमेवोपरिष्टात् ॥

जिसने दाह किया हो उसको यदि दशदिन का अशौच हो (अर्थात् वह यदि ब्राह्मण हो) तो दशदिनतक रोज एकपिण्ड बिधिवत् देवे, और यदि पिण्डदेनेवाले को १२ या १५ या ३० दिन का अशौच हो (अर्थात् क्षत्रिय आदि हो) तो नौ पिण्डतो जिसदिनदाह हुआ उसी दिन से नौ दिनतक एक २ देवे, और दशवां पिण्ड अशौचके अन्तके दिन (अर्थात् बारहवें या पंद्रहवें या तीसवें दिन देवे, और यदि अशौच तीन दिन का होतो पहिले दिन तीन दूसरे दिन ४ तीसरे दिन ३ इसतरह

से दश पिण्ड देवे, और यदि एकही दिन का वा स्नान आदि का अशौच हो तो उसीदिन दशो पिण्ड देवे । इनी दशो पिण्डों को दशगात्र कहते है, यह सब पिण्डदानआदि की विधि आद्धविवेकआदि ग्रन्थो में लिखी हैं, कोईलोग आलस्य से दशदिन के अशौच में भी तीसरे दिन ३ सातवें दिन ४ दशवें दिन ३ इस् तरह से १० पिण्ड पूराकरते हैं, परन्तु रोज एक पिण्डदेना यही पक्ष उत्तम है। इन दशो पिण्डों में इसबातकाभी ध्यान रखना चाहिये कि पहिलेदिन का पिण्ड जिस चीज (अर्थात् चावल सत्तू आदि) का हो उसीचीज से दशो पिण्ड देना (अर्थात् बदलना नहीं) ॥

दाहाह्नादेव गण्यं चयनादिनमिदं चादितोऽह्नां चतुर्णामे कास्मिन् सप्तमे बाऽहनि नवमदिने वाऽनुपेते तु नैतत् २८

अस्थिसंचयन (अर्थात् जो आद्ध चिताभूमि मे होती है, और मुर्दे की हड्डी बटोर के रखी जाती है फेर किसी समय मे वह हड्डी गङ्गाआदि तीर्थों मे डालने के वास्ते) सो पहिले या चौथे या सातवें या नौवें दिन करना, और इस्मे दिन की गिनती दाह के दिन से करना (अर्थात् मृत्यू के दिन से नही गिनना) कोई का मत है कि ब्राह्मण का तीसरे या चौथे दिन, क्षत्रिय का चौथे या पांचवें दिन वैश्यका पांचवें या नौवें दिन, शूद्र का दशवें दिन से तीसवें दिन तक अस्थि संचयन करना और भी कई तरह के इस्मे मत हैं पर सबका सारांश इतना ही है कि जिस्का जितना अशौच है उस्के तीन भाग में से बनेतक एक भाग बिताय के अस्थिसंचयन करना अच्छा है, और जरूरी हो तो पहिलेही करलेना इति । परन्तु जिस् द्विजातिका उपनयन न हुआहो या जिस स्त्री वा शूद्र का विवाह न हुआ हो उस्का अस्थिसंचयन नही होता ॥ २८ ॥

दत्वा पिण्डं सपिण्डाः परशववहनस्नापकाश्च व्रजित्वा तद्वेश्मद्वारि चास्य प्रशमितमनसो निम्बपत्त्रं विदश्य आचम्याग्न्यम्बुदूर्वाकुशवरवृषभानक्षतान् गोमयं च स्पृष्ट्वा सिद्धार्थतैलान्यथ दृषादि पदं न्यस्य सर्वे विशेयुः २९

पहिले दिन और दशवें दिन सबलोग (अर्थात् दाह कर नेवाला और उसके गोतिया और उसके इष्ट मित्र आदि)जब पिण्ड उदक हो जाय तो एकत्रहो के जिस घर से मुर्दा उठा हो उस घर के द्वारपर आवें और वहां पत्थर पर खड़े होके पैर धोवें आचमन करें नीमका पत्ता दांत से खोंटे बाद अग्नि दूर्बा बैल अक्षत गोबर पीली सरसो तेल इन को हाथ से स्पर्श करें फेर घर के लोग घर में जावें और बाहर के लोग अपने अपनेघरकीराह लेवें। यह सब कृत्य कोई कहते हैं कि पहिले ही दिन करना आवश्यक है और दशवे दिन आवश्यक नहीं है, तो जिस्के कुलमें जैसा संप्रदाय हो वैसाही करना ठीक है, और दशवेंदिन भी कियाजावे तो अच्छाही है ॥ २९ ॥

वर्षीयस्युद्धृते तूपरि वपननखच्छेदनं सूतकान्ते मध्ये वा के चिदूचुः पितृपरमगुरुष्वेव वापादि नित्यम् ॥

कोईका मतहै कि बड़े के मरने मे छोटे लोग क्षौर करावें (अर्थात् छोटे के मरने में बड़े लोगों को क्षौर कराने की आवश्यकता नहीं)। और किसी का मत यह है कि माता या पिता या आचार्य इनी के मरने मे क्षौर की आवश्यकता है (अर्थात् इस तीन से अतिरिक्त बड़ा भी कोई मरे तो क्षौर की जरूरत नहीं) और कोई कहते हैं कि दाह करनेवाला और जो मरा है उसकी स्त्री वा उसका बेटा इनी को क्षौर कराना चाहिये और किसी को नहीं, पर यह सब क्षौर जिस

दिन दाह हो उस दिन के समझ ने चाहिये, यदि रात को दाह हो तो दूसरे दिन, उस दिन भी न हो सके तो तीसरे वा पाचवें दिन कराबे। और अशौच के अन्त के दिन छोटे बड़े अशौची सब लोग और भी उस मुर्दे के साथ जाने वालेलोग और भी उनके मित्र आदि सब एकत्र होके क्षौर करावें और बस्त्रादि धोवें स्नानकरें। इस दिनके क्षौर में भी कोई कहते हैं कि छोटे ही लोगों को क्षौरकराना चाहिये, वा जो मरे उसके पुत्रादिकों को ही क्षौर आवश्यक है इत्यादि परन्तु यह मत किसी देशमे प्रचलितनहीं है (अर्थात् सब देशमें यह बात प्रसिद्ध है कि अशौच के अन्त में छोटे बड़े एकत्र हो के क्षौर कराते हैं)। अशौच के क्षौर मे कितने लोगों में मोछ मुड़ाने की चाल है और किसी किसी मे नहीं भी है तो इस्का यही संक्षेपसे निर्णय है कि अशौच वा तीर्थ वा प्रायश्चित्त आदि मे मोछ मुड़ानाही अच्छा है, क्यों कि मोंछ मुड़ाने का जो निषेध है सो सामान्यक्षौर मे है, और जो क्षौर कि किसी निमित्त से शास्त्र में विहित हैं उनके वास्ते निषेध नहीं है, और जिनका कि पिता जीवत् नहीं है उनके वास्ते तो कहीं निषेध भी नहीं है (अर्थात् वे तो जब हजामत बनावें तो मोंछ जरूर मुड़ावें) और जिनका पिता जीता भी हो वेभी अशौच या प्रयागादि तीर्थ या अग्निहोत्र इत्यादि मे तो जरूर मोछ मुड़ावें बाकी सामान्य हजामत मे यदि न भी मुड़ावें तो दोष नहीं और मुड़ावें तो उत्तम है इति॥

अत्र स्मार्त्त शुभार्थे भणितमभणितं तत्स्वगृह्यैर्विदित्वा कृत्वा दानं च दद्यादशुभभयाभिदे भूसुरेभ्यः शुभार्थम् ॥ ३० ॥

और जो कल[illegible] पर[illegible]ड आदि करने की विधि [illegible] छोटे ग्रन्[illegible]स्य प्रशस्ति[illegible] है सो सब अपने अपने पद्धति (अ[illegible] र्थात् आ[illegible]मुदर्वांनर्णयसिन्धु आदि ग्रन्थ के अनुसार से जो बनी हैं) उन से देख के करना, बाद ब्राह्मणभोजन यददा[illegible] गोदान गणेशपूजाआदि जो जिसकी पद्धति मे लिखा हो व[illegible] जो जिसका कुलाचार हो सो सब भी करना जिस्मेकी आ[illegible] कल्याण होवे) अर्थात् फेर ऐसी विपत न पड़े और बाव[illegible] के जो लोग हैं सो चिरायु हों और आनन्द मे रहें) इति ॥३०

सिंहादेकमिति न्यायाद् [१] भाषाबद्धान्निबन्धकात् ॥
विन्वन्तु चतुराः सारं हंसा इव यशः सिताः ॥ १ ॥
मूलस्यानुक्तमुक्तं स्याद्टीकायां वा विरोधि यत् ॥
सिताक्षरादिग्रन्थैस्तु तत्प्रामाण्यं परीक्ष्यताम् ॥ २ ॥
सुकरं दुष्करं त्वन्यैः पण्डितैरल्पमेधसा ॥
अनेन कृतमेतत्तत् कृपयाऽऽलोक्यमुत्तमैः ॥ ३ ॥

इति श्रीद्विवेदरामाश्रयशर्मा संकलिता भाषात्रिंशच्छ्लोकी विवृतिः समाप्ता ॥

उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी
पुस्तकालय
ग्रन्थ आ० सं० 38.96
संस्कृत भवनम् लखनऊ

॥ शुभं भूयात् ॥

[१] सिंहादेकं वकादेकं शिक्षेच्चत्वारि कुक्कुटात् ॥
वायसात्पञ्च शिक्षेच्च षट् शुनस्त्रीणि गर्दभादिति चाणक्यवचनं

दाऊजीअग्निहोत्री के सिद्धिविनायक प्रेस, में छपा
महल्ला ढुंढिराज गणेश काशी ।

ने चार
न हो सके
के अन्त